उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

शनिवार, 14 माघ, शक संवत् 1945

(03 फरवरी, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-रायपुर, इन्द्रप्रस्थ कालोनी निकट बीरेन्द्र प्रताप इण्टर कालेज, आई0आई0एम0 रोड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'क')

2-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-छाउछ, निकट गोपाल लॉन, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

3-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत विकास खण्ड-पहला, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सिष्टीपुर डामर रोड से महराज पुरवा बाराबंकी बार्डर तक सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

4-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-सरैया भरपुरवा, विकास खण्ड-रेउसा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

5-श्री इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत वार्ड संख्या-17, तुलसी नगर, फेज-2, जनपद-रायबरेली के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

6-श्री इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-रामगढ़ी जमुनी, निगोहां, विकास खण्ड-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

7-श्री राम सूरत राजभर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-गंजोर, तहसील व विकास खण्ड-मेहनगर, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

8-डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी तथा श्रीमती निर्मला पासवान, सदस्य, विधान परिषद् उसका समर्थन करेंगी :-

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 02 फरवरी, 2024 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'ज')

लखनऊ :
शनिवार, 14 माघ, शक संवत् 1945
(03 फरवरी, 2024)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

नत्थी 'क'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा0 सदन,

विधान परिषद्,

उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि जनपद-लखनऊ के बक्शी का तालाब के फैजुल्लागंज वार्ड-4 (रामेश्वरम् सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा आवंटित भू-खण्ड-95 ग्राम-रायपुर, इन्द्रप्रस्थ कालोनी निकट बीरेन्द्र प्रताप इण्टर कालेज, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ) के अन्तर्गत श्रीमती मंजू सिंह के मकान से श्रीमती शक्ति श्रीवास्तव के मकान से होते हुये श्री अंकित अग्रवाल के मकान तक सड़क खराब है। बरसात के मौसम में पानी सड़कों, घरों में प्रवेश कर जाता है। जल निकासी की भी कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क व नाली बनवाने एवं स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं। किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी।

अतः मा0 सदन से आग्रह है कि जनपद-लखनऊ के बक्शी का तालाब के फैजुल्लागंज वार्ड-4 (रामेश्वरम् सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा आवंटित भू-खण्ड-95 ग्राम-रायपुर, इन्द्रप्रस्थ कालोनी निकट बीरेन्द्र प्रताप इण्टर कालेज, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ) के अन्तर्गत श्रीमती मंजू सिंह के मकान से श्रीमती शक्ति श्रीवास्तव के मकान से होते हुये श्री अंकित अग्रवाल के मकान तक सड़क, नाली एवं स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने हेतु याचिका समिति को सन्दर्भित करने की कृपा करें। इस हेतु जिला स्तर पर धनराशि भी उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,

ग्राम-रायपुर, आई0आई0एम0 रोड के निकट

बीरेन्द्र प्रताप इण्टर कालेज, लखनऊ।

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा0 सदन,
विधान परिषद्,
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मुख्य मार्गों गोला रोड एवं नहर पटरी रोड से जोड़ने वाला मार्ग नहर पटरी-उदयपुर आरा मशीन मार्ग कच्चा एवं दलदली है, जिसकी वजह से ग्रामीणों व राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं। किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी।

अतः मा0 सदन से आग्रह है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मुख्य मार्गों गोला रोड एवं नहर पटरी रोड से जोड़ने वाला मार्ग नहर पटरी-उदयपुर आरा मशीन मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु याचिका समिति को सन्दर्भित करने की कृपा करें। इस हेतु जिला स्तर पर धनराशि भी उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,
ग्राम-छाउछ निकट गोपाल लॉन,
जनपद-लखीमपुर खीरी।
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्, उ0प्र0।

विषय :-जनपद सीतापुर विकास खण्ड पहला में सिष्टीपुर डामर रोड से महराज पुरवा बाराबंकी बार्डर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि विकास खण्ड पहला, जनपद सीतापुर में सिष्टीपुर डामर रोड से महराज पुरवा बाराबंकी बार्डर तक का रास्ता अत्यन्त खराब है। जिस कारण जनमानस को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एवं प्रतिदिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। जिसकी सूचना जनपद स्तर पर कई बार दी गयी है। किन्तु समस्या के समाधान हेतु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि सिष्टीपुर डामर रोड से महराज पुरवा बाराबंकी बार्डर तक सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें। कार्य हेतु जनपद स्तर पर धन उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,
सिष्टीपुर पहला, जनपद-सीतापुर।
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि विकास खण्ड रेउसा, जनपद सीतापुर के ग्राम सभा-सरैया भरपुरवा में कमीरा बाबा मन्दिर से डामर रोड तक लगभग 450 मी0 रोड काफी खराब है, मार्ग पर चहला, कीचड़ व कचरा रहता है। जिस पर गाँव व क्षेत्र के लोगों का बराबर आवागमन होता है। मार्ग खराब होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कमीरा बाबा स्थान से डामर रोड तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
ग्राम सभा-सरैया,
विकास खण्ड-रेउसा,
जनपद-सीतापुर।
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि हम सभी प्रार्थी वार्ड संख्या-17, तुलसी नगर फेज-2 के निवासी हैं। मुख्य मार्ग से हमारे मोहल्ले को जोड़ने वाला रास्ता बहुत ही जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है, बरसात के मौसम में जलभराव के कारण स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। जिला स्तर पर धन उपलब्ध है।

महोदय जी से करबद्ध अनुरोध है कि मोहल्ले में नहर पुलिया (अधिवक्ता धमेन्द्र चौधरी के घर से शिवधारी सिंह के लॉन तक) अनुमानित लम्बाई लगभग 400 मीटर सड़क एवं नाली का निर्माण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रार्थीगण,
वार्ड संख्या-17, तुलसी नगर फेज-2,
जनपद-रायबरेली।
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,
माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि हम सभी प्रार्थीगण विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम-रामगढ़ी जमुनी के हैं। हमारे ग्राम-रामगढ़ी जमुनी में नगराम रोड से फैक्ट्री के पास से सर्वजीत रावत के आवास तक (अनुमानित लम्बाई 600 मीटर) मार्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बरसात के मौसम में जलभराव के कारण स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जिला स्तर पर धन उपलब्ध है।

महोदय जी से करबद्ध अनुरोध है कि हमारे ग्राम-रामगढ़ी जमुनी में नगराम रोड से फैक्ट्री के पास से सर्वजीत रावत के आवास तक (अनुमानित लम्बाई 600 मीटर) मार्ग बनवाने का कष्ट करें, स्थानीय निवासी हमेशा आपके आभारी रहेंगे।

प्रार्थीगण,
ग्राम-रामगढ़ी जमुनी,
निगोहाँ, मोहनलालगंज,
जनपद-लखनऊ।
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील व विकास खण्ड-मेहनगर के ग्राम सभा-गंजोर में उक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-आजगढ़ के अन्तर्गत तहसील व विकास खण्ड-मेहनगर के ग्राम सभा-गंजोर के निवासी हैं। ग्राम सभा-गंजोर में उक्त कई मार्ग बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं। जिससे वहाँ के निवासियों को उक्त मार्गों से आने-जाने में काफी असुविधा होती है, उक्त मार्गों का निर्माण करार्य कराया जाना अति आवश्यक है। जिसके लिये वहाँ के लोगों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना की गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है, जो निम्नलिखित है :-

क-श्री घुन यादव के घर से शारदा सहायक खण्ड-23 लगभग-01 किलोमीटर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

ख-श्री पतरु नाऊ के घर से प्रा0वि0 गंजोर तक लगभग-01 किलोमीटर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

ग-श्री झिनकू यादव के घर से राम प्रवेश सिंह के घर से होते हुये शारदा सहायक खण्ड-23 तक लगभग-200 मीटर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

अतः माननीय सदन से हम याचिकाकर्ता की विनम्र प्रार्थना है कि जनहित एवं लोक महत्व में हमारी याचिका को स्वीकार करते हुये जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील व विकास खण्ड-मेहनगर के ग्राम सभा-गंजोर के उक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु सदन की याचिका समिति से स्वीकार करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
ग्राम सभा-गंजोर,
वि0ख0 व तहसील-मेहनगर,
जनपद-आजमगढ़।
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
श्री लाल बिहारी यादव, नेता समाजवादी पार्टी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है।

1-1993 से 2000 तक तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में,

2-शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में,

3-माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों को सरकार द्वारा मानदेय देने के सम्बन्ध में,

4-मान्यता के नयी शर्तों के लागू होने की तिथि के पूर्व मान्यता के आवेदन को पुरानी मान्यता शर्तों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,

5-कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार, डकैती, चोरी व लूट, हत्या, जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

7-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,

8-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

9-महिलाओं और युवतियों के लिये बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में,

10-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में,

11-दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की रोकथाम के सम्बन्ध में,

12-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

13-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

14-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

15-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

16–किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

17–गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

18–छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

19–बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

20–सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

21–निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

22–चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

23–नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में, तथा

24–बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने एवं सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।''

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।